"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 जनवरी 2014—पौष 25, शक 1935

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 जनवरी 2014

प्रारूप विकास योजना रतनपुर के प्रकाशन की सूचना

क्रमांक/94/DP-112/नग्रानि./2014.— एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि रतनपुर निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार प्रकाशित किया गया है और उसकी प्रति मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत रतनपुर, जिलाध्यक्ष बिलासपुर तथा संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बिलासपुर के कार्यालयों में कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. दिनांक 15 जनवरी 2014 से नगर पंचायत रतनपुर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, प्रारूप विकास योजना की प्रति प्रदर्शनी स्थल पर पूर्व अदायगी करने पर प्रदाय होगी.

उक्त प्रारूप योजना की विशिष्टियां नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है. उक्त प्रारूप विकास योजना के सम्बन्ध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो उसे उक्त स्थलों पर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि समाप्त होने के पूर्व भेजा जाना चाहिए.

अनुसूची

(क) भूमि के वर्तमान उपयोग सम्बन्धी मानचित्र तथा उसके बारे में वृत्तात्मक रिपोर्ट.

(ख) प्रारूप योजना के उपबन्धों को स्पष्टीकरण करने वाली वृत्तात्मक रिपोर्ट जो मानचित्रों तथा चार्टों से समर्थित हो.

(ग) प्रारूप विकास योजना के कार्यान्वयन की क्रमावस्था.

(घ) प्रारूप विकास योजना को प्रवर्तित कराने के लिए तथा वह रीति जिसमें विकास के लिये अनुज्ञा अभिप्राप्त की जा सकेगी, कथित करने के लिये उपबंध.

(ङ) लोक प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन के खर्चों तथा योजना के कार्यान्वयन में अन्तर्वलित कार्यों के खर्च लगभग प्राक्कलन.

हस्ता./
(एस. एस. बजाज)
संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश.

Raipur, the 8th January 2014

Notice of Publication of Draft Development Plan Ratanpur

क्रमांक/94/DP-112/नग्रानि./2014.— Notice is hereby given that the draft of development plan for Ratanpur Planning Area has been published in accordance with the provision of sub-section (1) of section 18 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) a copy thereof is available for inspection at the office of the Nagar Panchayat Ratanpur meeting Hall and the Office of the Collector, Bilaspur and Joint Director, Town and Country Planning Office, Mungeli Naka, Bilaspur during office hours except holidays. An exhibition is also organized from 15 January 2014 at Nagar Panchayat Council Ratanpur meeting Hall. Copies of the draft plan (Report) will be supplied on payment at the venue of exhibition.

The particulars of the said draft plan have been specified in the schedule below-

If there be any objection or suggestion with respect to the said draft plan, it should be sent to the above mention places before the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the "Chhattisgarh Gazette".

SCHEDULE

(a) Existing land use map.

(b) A narrative report, supported by maps and charts explaining the provision of the draft development plan.

(c) The phasing of implementation of the draft plan.

(d) The provision for enforcing the draft development plan and stating the manner in which permission to development to be obtained.

(e) An approximation of the cost of land acquisition for public purposes, and the cost of works involved in the implementation of the plan.

Sd/-
(S. S. Bajaj)
Director,
Town And Country Planning.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.